



बिहार सरकार  
समाहरणालय, कैमूर (भभुआ)  
(आपूर्ति शाखा)

Ph. No. - 06189-223241 (O)  
Fax No. - 06189-223301  
Email-dm-bhabhua.bih@nic.in

—: सूचना :—

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायादेश के आलोक में दिनांक 05.06.2015 को विभिन्न समाचार पत्रों में जन वितरण प्रणाली दुकानों के संबंध में प्रकाशित विज्ञापन को रद्द किया जाता है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा समादेश याचिका संख्या 4453/2016 के संदर्भ में दिनांक 14.12.2016 को दिए गये न्यायादेश के आलोक में बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 में वर्णित प्रावधानों एवं विभागीय पत्रांक 1222/खाद्य, पटना, दिनांक 08.03.2017 तथा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या 2342 दिनांक 15.02.2016 में निहित प्रावधानों के आलोक में कैमूर जिलान्तर्गत भभुआ एवं मोहनियां अनुमण्डल के जन वितरण प्रणाली दुकानों की रिक्तियां निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	अनुमण्डल का नाम	अनारक्षित		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अत्यंत पिछड़ा वर्ग		पिछड़ा वर्ग		योग
		पु०	म०	पु०	म०	पु०	म०	पु०	म०	पु०	म०	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	भभुआ	38	19	11	7	1	0	13	8	9	8	114
2	मोहनियां	40	21	12	7	3	0	16	8	9	10	126
कुल योग		78	40	23	14	4	0	29	16	18	18	240

इस प्रकार कुल 240 (दो सौ चालीस) रिक्तियों के विरुद्ध संबंधित पंचायत/वार्ड के स्थायी निवासियों से विहित प्रपत्र में पुनः आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

- व्यक्तियों के लिए अनुसूची-1 में तथा स्वयं सहायता समूह, महिलाओं/पूर्व सैनिक की सहयोग समितियों के लिए अनुसूची-2 में आवेदन पत्र अनुमण्डल पदाधिकारी, भभुआ/मोहनियां के कार्यालय में निर्धारित तिथि दिनांक 10.06.2017 से 24.06.2017 तक कार्यालय अवधि में सिर्फ निबंधित डाक के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
- उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक मैट्रिक पास और वयस्क होगा, परन्तु कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी। कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग्य को और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।
- अनुज्ञप्ति निर्गत करने में निम्न प्रकार से प्राथमिकता दी जायेगी :- (क) स्वयं सहायता समूह, (ख) महिलाओं की सहयोग समितियाँ, (ग) पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ, (घ) शिक्षित बेरोजगार (ङ) संबंधित पंचायत अथवा वार्ड के निवासी।
- निम्नलिखित व्यक्तियों को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं किया जायेगा :- (क) एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्यों के नाम से, (ख) मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद् के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल तक, (ग) आटा-चक्की के

मालिक एवं उनके निकट संबंधियों को, (घ) अवयस्क या पागल या दिवालिया को, (ङ) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) के अधीन अथवा अन्य किसी आपराधिक मामले में अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष व्यक्ति को, (च) सरकार में लाभ के पद धारण करने वाले व्यक्ति।

5. विज्ञापन प्रकाशन के पूर्व अनुज्ञप्ति हेतु दिये गये आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को निरस्त किया जाता है।
6. अनुमण्डलवार/प्रखण्डवार/पंचायतवार/वार्डवार जन वितरण प्रणाली के दुकानों की आरक्षणवार रिक्तियाँ कार्यालय अनुमंडल पदाधिकारी, भभुआ/मोहनियां के सूचनापट्ट पर एवं कैमूर जिले के बेवसाईट [kaimur.bih.nic.in](http://kaimur.bih.nic.in) पर देखा जा सकता है।

- नोट :- 1. आवेदन पत्र के साथ अपना रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो (हाल का खींचा हुआ) पांच प्रति में संलग्न करना होगा, जिसमें से एक फोटो आवेदन पत्र पर सबसे उपर दांये कोने में चिपकाना होगा।
2. आवेदक को अपना मोबाईल संख्या आवेदन पत्र में अंकित करना होगा।
  3. आवेदक को आवेदन पत्र के सबसे उपर उस पंचायत/वार्ड संख्या एवं आरक्षण श्रेणी अंकित करना होगा, जिस पंचायत/वार्ड एवं आरक्षण श्रेणी के लिए आवेदन कर रहें हैं।
  4. शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
  5. आरक्षित श्रेणी के आवेदक को अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
  6. संबंधित पंचायत/वार्ड का निवासी होने का लाभ लेने के लिए अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत आवास प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
  7. कार्यपालक दण्डाधिकारी के स्तर से निर्गत आचरण संबंधी शपथ पत्र की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है।
  8. एक से अधिक पंचायत/वार्ड के लिए आवेदन करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
  9. जिन पंचायतों/वार्डों में अनुसूचित जनजाति के लिए रिक्तियाँ अनुशंसित हैं, वहाँ अनुसूचित जनजाति का कोई आवेदक नहीं हो, तो इसे अनुसूचित जाति के आवेदक द्वारा भरा जायेगा, और यदि अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित उचित मूल्य की दुकान के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का कोई सुयोग्य आवेदक नहीं हो, तो इस पिछड़े वर्ग के आवेदक एवं तदनुसार इसके विपरीत क्रम (vice versa) द्वारा भरा जायेगा।
  10. आवेदक जिस स्थान पर जन वितरण प्रणाली की दुकान चलाना चाहते हैं, उसका खाता, खेसरा एवं रकबा से संबंधित खतियान/केवाला एवं अद्यतन लगान रसीद की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

जिला पदाधिकारी,  
कैमूर (भभुआ)।

बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के अधीन उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन पत्र (व्यक्तियों के लिए)

अनुज्ञापन प्राधिकारी का पदनाम  
एवं कार्यालय का पता

आवेदक का  
अभिप्रमाणित  
फोटो

1. आवेदक की विशिष्टियाँ -

- (क) नाम  
(ख) पिता/पति का नाम  
(ग) शैक्षणिक योग्यता  
(घ) उम्र  
(ङ) स्थायी तथा वर्तमान पता  
(च) (फोन नं./ मोबाईल नं./ ई-मेल पता के साथ)  
(ज) कम्प्यूटर ज्ञान

2. उचित मूल्य की दुकान का विवरण जिसके लिये अनुज्ञप्ति अपेक्षित है :-

व्यवसाय स्थल का विवरण

- (क) मकान / दुकान संख्या  
(ख) होल्डिंग नं०  
(ग) क्षेत्रफल  
(घ) खाता नं०....., खेसरा नं०  
(ङ) चौहद्दी  
(च) मुहल्ला / वार्ड नं०  
(छ) ग्राम / शहर  
(ज) थाना  
(झ) जिला

3. आरक्षण का दावा हो, तो आरक्षण वर्ग का उल्लेख करें और जाति प्रमाणपत्र संलग्न करें

4. व्यवसाय स्थल अपना है या किराया का ? अगर किराया का है तो किराया के इकरारनामा की सत्यापित प्रति संलग्न करें।

5. यदि आवेदक के पास पूर्व से अन्य किसी कारोबार की अनुज्ञप्ति है, तो विवरण दें

6. क्या आवेदक को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) के अधीन जारी किए गए किसी आदेश के उल्लंघन के कारण अथवा अन्य किसी आपराधिक मामले में अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया है ?

7. क्या आवेदक को किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित या सिद्धदोष ठहराया गया है ?

8. क्या आवेदक को विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित है ?

9. क्या आवेदक सरकारी लाभ के किसी पद पर पदस्थापित हैं ? यदि हाँ तो विस्तृत विवरण दें।

10. क्या आवेदक सरकारी नौकरी में हैं ? यदि हाँ तो विस्तृत विवरण दें।

11. क्या आवेदक को पास आटा-पकड़ी है ?

*(Signature)*

12. क्या आवेदक किसी आटा-चक्की मालिक का निकट रिश्तेदार है ?
13. क्या आवेदक मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति का सदस्य, जिला परिषद का सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकाय का निर्वाचित सदस्य है ?

मैं ..... एतद्वारा घोषण करता हूँ कि उपर्युक्त वर्णित विशिष्टियाँ मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास में सही हैं एवं उनमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है। भविष्य में यदि ये असत्य पाये जाते हैं तो मैं कानूनी कार्रवाई का भागी होऊँगा।

“ बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016” के प्रावधानों को मैंने सावधानीपूर्वक पढ़/समझ लिया है तथा मैं उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक का हस्ताक्षर



## अनुसूची - 2

बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के अधीन उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन पत्र (स्वयं सहायता समूह, महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ के लिए)

अनुज्ञापन प्राधिकारी का पदनाम .....  
एवं कार्यालय का पता

आवेदक का  
अभिप्रेमाणित  
फोटो

1. महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ/स्वयं सहायता समूह की विशिष्टियाँ
  - (क) नाम एवं प्रकार :
  - (ख) निबंधन संख्या एवं वर्ष :  
(स्वयं सहायता समूह के लिए गठन का वर्ष वर्तमान ब्रेडिंग के साथ)
  - (ग) कार्यालय का पता :
  - (घ) मुख्य पेशा एवं कार्यक्षेत्र :
  - (ङ) प्रबंध समिति के अध्यक्ष/प्रधान एवं सदस्यों का विवरण :  
(निर्वाचन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)
  - (च) अधिक्रमित होने की स्थिति में नियुक्त प्रशासक का नाम एवं पदनाम का उल्लेख करें:
2. उचित मूल्य की दुकान का विवरण जिसके लिये अनुज्ञप्ति अपेक्षित है :-
3. महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ/स्वयं सहायता समूह की प्रबंध समिति के द्वारा आवेदन करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति से सम्बन्धित सूचनाएँ :-
  - (क) नाम :
  - (ख) पिता/पति का नाम :
  - (ग) स्थायी पता :
  - (घ) पत्राचार का पता :
  - (ङ) फोन नं०/मोबाईल नं०/  
ई-मेल पता :
4. आरक्षण का दावा हो, तो आरक्षण वर्ग का उल्लेख करें एवं प्रबंध समिति के प्रधान सहित सभी सदस्यों की जाति का प्रमाण पत्र संलग्न करें
5. व्यवसाय स्थल का विवरण :-
  - (क) मकान / दुकान संख्या :
  - (ख) होल्डिंग नं० :
  - (ग) क्षेत्रफल :
  - (घ) खाता नं०....., खेसरा नं० :
  - (ङ) चौहद्दी :
  - (च) मुहल्ला / वार्ड नं० :
  - (छ) ग्राम / शहर :
  - (ज) थाना :
  - (झ) जिला :
  - (ञ) गोदाम की भंडारण क्षमता :
6. दुकान या गोदाम का स्थल अपना है या किराया का ? अगर अपना है तो दस्तावेजों की अभिप्रेमाणित प्रति संलग्न करें और अगर किराया का है तो किराया के इकटारनामा की अभिप्रेमाणित प्रति संलग्न करें।

7. यदि महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ या स्वयं सहायता समूह के पास पूर्व से अन्य किसी कारोबार की अनुज्ञप्ति है, तो इसका विवरण दें
8. महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ/स्वयं सहायता समूह के पास उपलब्ध चलती पूंजी का विवरण :-  
(आवेदन की तिथि को बैंक खातों एवं उनमें उपलब्ध राशि का विवरण दें)

मैं ..... एतद्वारा .....  
की तरफ से इसकी प्रबंध समिति की बैठक में दिनांक..... को पारित प्रस्ताव संख्या..... द्वारा अधिकृत किये जाने के आलोक में घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित विशिष्टियाँ मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास में सही हैं एवं उनमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

मैं, यह भी घोषणा करता हूँ कि ..... की प्रबंध समिति ने "बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016" के प्रावधानों को पढ़/समझ लिया है तथा वह उनका पालन करने के लिए सहमत है।

सहयोग समिति/स्वयं सहायता समूह के  
प्रधान का प्रतिहस्ताक्षर  
नाम  
पदनाम  
सहयोग समिति/स्वयं सहायता समूह  
का नाम

आवेदन करने हेतु प्राधिकृत  
व्यक्ति का हस्ताक्षर  
नाम  
पदनाम  
सहयोग समिति/स्वयं सहायता समूह  
का नाम

*(Signature)*